



पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ष-5

05 फ़रवरी, 1933 (गो)
शुक्रवार तिथि
24 फरवरी, 2012 (ई)
प्रश्नों की कुल संख्या—01

(1) स्वास्थ्य विभाग

01

कुल योग ..

01

नकली दवाइयों पर रोक एवं कार्रवाई

07. श्री अवनीश कुमार सिंह—दिनांक 28 जुलाई, 2011 को प्रकाशित समाचार शीर्षक “इग इस्पेक्टर के संरक्षण में होता कारोबार” के आलोक में क्या भीजी, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर के अंतर्गत गोविन्द मिश्र रोड में दवा का होलसेलर कारोबार होता है और यहाँ से नकली दवाएं पूरे पूर्वोत्तर राज्यों सहित विहार प्रदेश में आपूर्ति होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि जनवरी, 2011 से जुलाई, 2011 तक पुलिस द्वारा 7 बार की गयी कार्रवाई में नकली दवाएं एवं कारोबारी पकड़े गये, परन्तु औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में कोई कार्रवाई नहीं की गयी जबकि नकली दवाओं का कारोबार नहीं होने देने की जिम्मेदारी औषधि नियंत्रक से लेकर राज्य औषधि नियंत्रक तक की है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नकली दवा के कारोबार पर रोक लगाने तथा नकली दवा के कारोबार को प्रत्रय देने वाले व्यापारियों एवं इग इस्पेक्टरों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 24 फरवरी, 2012 (ई०) ।

लक्ष्मीकांत शा,
प्रभारी सचिव,
विहार विधान-सभा ।